



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर—29, फरीदाबाद—121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue

NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008

ई—मेल / E-mail : dg.nacen-cbec@nic.in फोन / Telephone : 0129-2504652-54

फैक्स / Fax: 0129-2504632

(By E-mail)

F.No. NACIN/TRNG/INFRA/2021

Dated 03.03.2021

Madam/Sir,

Subject: Online training on "Infrastructure Proposals & Welfare Scheme" on 12th March, 2021 from 10:30 AM to 01:30 PM -reg.

National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN), Faridabad is organizing an online training on "Infrastructure Proposals & Welfare Schemes" on 12th March, 2021 from 10:30 AM to 01:30 PM.

2. It is requested to nominate officers of CBIC for the said online training. The details of participants may please be sent in the following format in **EXCEL only**. Nominations received in PDF format shall not be entertained.

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (in capital letters)	
1	Officer							

Details of the nominated officers may please be sent by 10th March, 2021 before 5 PM to this office by email only at EMAIL ID: NOMINATIONS.IST-FBD@GOV.IN with the captioned subject in the subject field of the email. Details of the web-platform, web-link and appropriate instructions for participation in the online training will be sent directly to the participants by e-mail and they can participate in the online training by simply clicking on the link at the designated time. In case of any query/difficulty, Shri Rajesh Kumar Gupta, Addl. Assistant Director (Mob: 9013171249) and Shri P.K. Sinha, Additional Assistant Director (Mob. 9910510842) may please be contacted.

Yours faithfully,

(Monika Yadav)
Deputy Director

То

1. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Customs (All)

2. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of CGST & Central Excise (All)

3. The Pr. Director General / Director General (All Directorates General under CBIC)

4. The Chief Departmental Representative, CESTAT, New Delhi

5. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Customs (All)

6. The Pr. Commissioners / Commissioners of CGST & Central Excise (All)

7. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Audit Commissionerate (All)

8. CBIC & NACIN Website





राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008

ई-मेल / E-mail : dg.nacen-cbec@nic.in

फोन / Telephone: 0129-2504652-54

फैक्स / Fax: 0129-2504632

(ई-मेल के माध्यम से)

दिनांक: 03.03.2021

फा.सं. NACIN/TRNG/INFRA/2021

विषय:- नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों के लिए "Infrastructure Proposals & Welfare Scheme" विषय पर दिनांक 12.03.2021 को प्रात: 10:30 AM से अपराहन 01:30 PM तक ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नाकॉटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2021 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के **अधिकारियों** के लिए "Infrastructure Proposals & Welfare Schemes" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण प्रातः 10:30 AM से अपराहन 01:30 PM तक आयोजित किया जाएगा।

अतः यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के उपयुक्त समूह के अधिकारियों को नामित किया जाये। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्मा में ही भेजे जाये। PDF फोरमैट में दिये गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sr. Name of the Officer	8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (in capital letters)	
	Linpicy							

नामांकन सकारात्मक रूप से **साँय 5 बजे दिनांक 10 मार्च, 2021** तक केवल ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आईडी-NOMINATIONS.IST-FBD@GOV.IN पर भेजे जा सकते हैं। वेब- प्लैटफ़ार्म, वेब- लिंक एवं ऑनलाइन सत्र में भाग लेने संबन्धित अन्य निर्देश, नामांकित अधिकारियों की ई-मेल आईडी पर भेज दिये जाएंगे। अधिकारी सांझे किए गए लिंक पर क्लिक कर के प्रशिक्षण सत्र में भाग ले पाएंगे। उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबन्धित किसी भी जानकारी हेतु श्री राजेश कुमार, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9013171249) एवं श्री पी के सिन्हा, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9910510842) से संपर्क किया जा सकता है।

उप निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषणः

- सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
- 1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2.
- प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआई के तहत सभी निदेशालय) 3.
- मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
- सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क 5.
- सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय 7.
- सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट